कार्यालय अंचल अधिकारी, बुढ़मू (राँची)

आदेश–पत्रक

अनुसूची.......फॉम सं0–.......... (देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रांक ....तारीख.............से................... तक ....जिला राँची

केस का प्रकारः–लगान निर्धारण वाद सं० 02/2022-23

T.R. 05/2023-24

आदेश और तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3
31.03.2023	आवेदक (1) बसंन्त प्रसाद एवं प्रदीप प्रसाद, दोनो के पिता स्व० हरजीवन साहु (2) राजेश कुमार एवं मिथिलेश प्रसाद, दोनों के पिता स्व० बासुदेव साहु (3) नितेश कुमार पिता– स्व० शिव प्रसाद साहु (4) सुरेश प्रसाद साहु एवं सदानन्द प्रसाद दोनों के पिता– स्व० रामसेवक साहु (5) नरेश प्रसाद साहु, राजेन्द्र प्रसाद, अशोक प्रसाद साहु, मदन प्रसाद साहु एवं सदन कुमार, पाँचों के पिता– स्व० जगदीश साहु, सभी जाति वैश्य, पेशा– खेतीबारी व व्यापार, सभी निवासी– ग्राम– आरा, पो०– चकमे, थाना– बुढ़मू, जिला– राँची, राज्य– झारखण्ड ने अंचल कार्यालय, बुढ़मू में आवेदन देकर निम्नांकित भूमि का लगान निर्धारण करने हेतु प्रार्थना किये हैं–	

क्र० सं०	मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा	भूमि किस्म
	सिदरौल	81	110	267	0.41 एकड़	दोन–3
				273	0.69 एकड़	टांड–2
				352	0.33 एकड़	दोन–2
				575	1.58 एकड़	टांड–2
				910	3.82 एकड़	टांड–2
				1335	0.44 एकड़	दोन–1
				1358	1.16 एकड़	दोन–2
				1399	0.18 एकड़	दोन–2
				1400	3.10 एकड़	दोन–1
				274	0.03 एकड़	परती कदीम
				1401	0.06 एकड़	गड़हा
				1335/ 1750	0.08 एकड़	दोन–3
				1467	0.13 एकड़	दोन–3
					कुल – 12.01 एकड़	

आवेदक को पंजीकृत कर आम नोटिस निर्गत किया गया एवं नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आवेदन के विरूद्ध कोई आपत्ति

(हस्ताक्षर)

CS CamScanner

दर्ज नहीं की गई है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं अंचल अमीन से सीमांकन कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने स्थल जाँच एवं राजस्व कागजात के आधार पर प्रतिवेदित किया है कि–

"आवेदित भूमि बुढ़मू अंचल अन्तर्गत मौजा– सिदरौल, थाना नं०– 81 के खाता सं०– 110, प्लॉट सं०– 267, 273, 352, 575, 910, 1335, 1358, 1399, 1400, 274, 1401, 1335/1750, 1467, रकबा क्रमशः 0.41 एकड़, 0.69 एकड़, 0.33 एकड़, 1.58 एकड, 3.82 एकड़, 0.44 एकड़, 1.16 एकड, 0.18 एकड़, 3.10 एकड, 0.03 एकड़, 0.06 एकड़, 0.08 एकड़, 0.13 एकड़, कुल रकबा– 12.01 एकड़ भूमि आर० एस० खतियान में बकास्त नाम लगान पाने वाला जगरनाथ साहु दर्ज है।

आवेदित भूमि को जमींदार जगन्नाथ साहु वो अशेषवर नाथ साहु वो देवनारायण साहु वो शिवनारायण साहु वो सीताराम साहु पेशरान– कमल साहु निवासी ग्राम– आरा, बुढ़मू, राँची ने रजिस्ट्री डीड सं०– 2251, दिनांक– 20.07.1935 के माध्यम से ग्राम– गिंजोठाकुरगाँव, बुढ़मू, राँची निवासी गणेश साहु वो महेश साहु पेशरान– गरीब साहु, जाति– जैशवार महाजन वो लालमन साहु पेशरान दशरथ साहु जाति रौनियार महाजन को बिक्री (बन्दोबस्त) कर दिया।

पुनः गणेश साहु वो महेश साहु पेशरान– गरीब साहु वो लालमन साहु पेशरान दशरथ साहु ने आवेदित भूमि को डीड सं०– 3080, दिनांक– 5.05.1952 के माध्यम से आवेदक के पूर्वजों (1) श्रीमती राजकुवारी, पिता– मधु साहु,, पति– हरजीवन साहु (2) श्रीमती देवमती कुवांरी, पिता– कमल साहु, पति– रामसेवक साहु, (3) श्रीमती सीता कुवांरी, पिता– दुलार साहु, पति– जगदीश साहु को बिक्री कर दिया।

रजिस्ट्री डीड की सत्यापित प्रति जिला अवर निबंधक राँची के पत्रांक– 70/16.01.23 द्वारा उपलब्ध कराई गई है। आवेदित भूमि गैरमजरूआ आम वो खास अथवा सरकारी भूमि, सिलिंग, अधिग्रहित भूमि नहीं है। भूमि सी॰बी॰आई॰ अथवा निगरानी जाँच से प्रभावित नहीं है। यह भूमि नदी, नाला, जंगल–झाड़ी, वन, शिक्षा, माइनिंग, कब्रिस्तान, सरना, मसना, अन्य धार्मिक स्थल से मुक्त है। भूमि पर आवेदकों का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है। भूमि लगान निर्धारण योग्य है। आवेदित भूमि का लगान निर्धारण नहीं हुआ है। लगान निर्धारण की अनुशंसा की जाती है।

आवेदक संख्या (1)– बसन्त प्रसाद एवं प्रदीप प्रसाद क्रेता संख्या–1. श्रीमती राजकुवारी, पति– हरजीवन साहु के पुत्र हैं। आवेदक संख्या–2 राजेश कुमार एवं मिथिलेश प्रसाद एवं (3) नितेश कुमार क्रेता संख्या–2 देवमती कुवारी पति रामसेवक साहु के पोता हैं। जबकि आवेदक संख्या– (4) सुरेश प्रसाद साहु एवं सदानन्द प्रसाद क्रेता संख्या– 2 देवमती कुवारी पति रामसेवक साहु के पुत्र हैं। आवेदक संख्या– (5) नरेश प्रसाद साहु, राजेन्द्र प्रसाद, अशोक प्रसाद साहु, मदन प्रसाद साहु एवं सदन कुमार क्रेता संख्या– (3) सीता कुवारी पति

CamScanner

जगदीश साहु के पुत्र हैं।

तीनों क्रेता की मृत्यु हो चुकी है। उनके जीवित वंशजों के द्वारा लगान निर्धारण हेतु आवेदन दिया गया है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेद एवं अनुशंसा के आलोक में मौजा सिदरौल के थाना नं.– 81 के खाता सं.– 110, प्लॉट सं.– 267, 273, 352, 575, 910, 1335, 1358, 1399, 1400, 274, 1401, 1335/1750, 1467, रकबा क्रमशः 0.41 एकड़, 0.69 एकड़, 0.33 एकड़, 1.58 एकड, 3.82 एकड़, 0.44 एकड़, 1.16 एकड, 0.18 एकड़, 3.10 एकड, 0.03 एकड़, 0.06 एकड़, 0.08 एकड़, 0.13 एकड़, कुल रकबा– 12.01 एकड़ भूमि आर. एस. खतियान में बकास्त नाम लगान पाने वाला जगरनाथ साहु दर्ज है। भूमि का लगान निर्धारण आवेदकों (1) बसंन्त प्रसाद एवं प्रदीप प्रसाद, दोनो के पिता स्व. हरजीवन साहु (2) राजेश कुमार एवं मिथिलेश प्रसाद, दोनों के पिता स्व. बासुदेव साहु (3) नितेश कुमार पिता– स्व. शिव प्रसाद साहु (4) सुरेश प्रसाद साहु एवं सदानन्द प्रसाद दोनों के पिता– स्व. रामसेवक साहु (5) नरेश प्रसाद साहु, राजेन्द्र प्रसाद, अशोक प्रसाद साहु, मदन प्रसाद साहु एवं सदन कुमार, पाँचों के पिता– स्व. जगदीश साहु, सभी जाति वैश्य, पेशा– खेतीबारी व व्यापार, सभी निवासी– ग्राम– आरा, पो.– चकमे, थाना– बुढ़मू, जिला– राँची, राज्य– झारखण्ड के पक्ष में करने की अनुशंसा की जाती है। लगान दर प्रति एकड़ 100 रूपये की दर से कुल 1201=00 (बारह सौ एक रूपये मात्र) अलावे शेष दर 1955–1956 से देय होगा।

राजस्व उप निरीक्षक/ अंचल निरीक्षक का चेक स्लीप 3 प्रति में, लगान निर्धारण प्रपत्र 3 प्रति में, ट्रेस नक्शा 3 प्रति में, आर.एस. खतियान की ऑनलाईन प्रति, अमीन का सीमांकन प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।

अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

31.03.2023

अंचल अधिकारी,
बुढ़मू राँची।

31.03.2023

अंचल अधिकारी,
बुढ़मू राँची।

कार्यालय अंचल अधिकारी, बुढ़मू (राँची)

आदेश–पत्रक

अनुसूची......फॉर्म सं0–.......... (देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रांक ....तारीख...........से.................. तक ....जिला राँची

केस का प्रकार:–......लगान निर्धारण वाद सं० 02/2022–2023

आदेश और तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर प्रदीप प्रसाद, बसंत प्रसाद वगैरह।	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3
19/06/2023	अभिलेख उपस्थापित। अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक– 273(ii), दिनांक– 20.04.2023 द्वारा लगान निर्धारण वाद सं०– 02/2022–23 अनुशंसा सहित उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची को प्रेषित की गई थी। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची के पत्रांक– 2242(ii), दिनांक– 02.06.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक– 22.05.2023 को प्रदीप प्रसाद वो सुजित कुमार गुप्ता, वंशज लालमन साहु वल्द दसरथ साहु, निवासी ग्राम+थाना– गिंजोठाकुरगाँव, प्रखण्ड– बुढ़मू, जिला– राँची की ओर से आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया है। आपत्ति आवेदन के आलोक में इस निदेश के साथ मूल अभिलेख सं०– 02/2022–23 को वापस किया गया है कि आपत्तिकर्त्ता का पक्ष लेते हुए एवं जाँचोपरान्त विस्तृत प्रतिवेदन अभिलेख में उल्लेखित करते हुए स्पष्ट अनुशंसा एवं मंतव्य के साथ अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजना सुनिश्चित करें। दिनांक– 03.06.2023 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर के साथ आपत्तिकर्त्ता को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला हुआ है। दिनांक– 09.06.2023 को आपत्तिकर्त्ता की ओर से प्रदिप साहु उपस्थित हुए एवं 5 दिन के समय की मांग की गई। प्रदीप साहु द्वारा अतिरिक्त समय देने हेतु आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। उनके द्वारा वंशावली या पहचान पत्र भी नहीं प्रस्तुत किया गया। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वे लालमन साहु के वंशज हैं अथवा नहीं। पुनः दिनांक– 14.06.2023 को दिलीप कुमार साहु वल्द बेचन साहु, निवासी– गिंजोठाकुरगाँव, थाना– ठाकुरगाँव, जिला– राँची द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। लिखित जवाब में कहा गया है कि उनकी पुश्तैनी जमीन मौजा– सिदरौल के खाता सं०– 110, कुल रकबा– 12.01 एकड़ एवं खाता सं०– 111, कुल रकबा– 1.78 एकड़ भूमि में अवस्थित है। उनके द्वारा डीड सं०– 3080, दिनांक– 05.05.52 के सत्यापित प्रति की छायाप्रति एवं दिनांक– 25.04.52 को लालमन साहु वगैरह द्वारा बिक्री किये गये भूमि के डीड की छायाप्रति एवं ऑनलाईन खतियान एवं पंजी की प्रति समर्पित किया गया है, आपत्तिकर्त्ताओं द्वारा समर्पित दस्तावेजों से उनके	

Sd/-
19/06/2023

दावे की पुष्टि नहीं होती है। पुनः आपत्तिकर्त्ता का कहना है कि आवेदको द्वारा प्रस्तुत खरीदगी पट्टा फर्जी है, जबकि उल्लेखित डीड की सत्यापित प्रति जिला अवर निबंधक, राँची के पत्रांक– 70, दिनांक– 16.01.2023 द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार, मैं पाता हूँ कि आपत्तिकर्त्ता की आपत्ति निराधार है। आपत्ति निरस्त की जाती है एवं आवेदित भूमि का लगान निर्धारण आवेदकों के नाम करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

Sd/- 19/06/2023
अंचल अधिकारी,
बुढ़मू राँची।

Sd/- 19/06/2023
अंचल अधिकारी,
बुढ़मू राँची।

Digitally signed by SHANKAR KUMAR VIDYARTHY
Date: 2023.12.08 21:38:32 +05:30
Location: 192.168.176.153

CamScanner